213 (3) केन्द्रीय महंगाई भत्ता पैटर्न अपनाने वाले सरकारी उद्यमों में कार्यरत कर्मचारियों को अंतरिम राहत के भुगतान के संबंध में उच्चाधिकार वेतन समिति द्वारा की गई सिफारिशें

केन्द्रीय सरकार वेतनमानों तथा महंगाई भत्ते द्वारा शासित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में वेतनमानों तथा अन्य प्रासंगिक मामलों जैसे कि अतिरिक्त महंगाई भत्ता, अंतरिम राहत और अन्य भत्तों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार लोक उद्यम विभाग के तारीख 27 नवम्बर, 1986 के संकल्प सं. 2(10)83–बी.पी.ई.(डब्ल्यू सी) के अंतर्गत एक उच्चाधिकार वेतन समिति गठित की गई जिसने अंतरिम राहत की दूसरी किश्त की अदायगी के लिए और मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिकर भत्ते की अदायगी के संबंध में उच्चतम सीमा को बढ़ाने के लिए अपनी अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। इन सिफारिशों को सरकार ने मंजूर कर दिया है तथा इस संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:

(i) तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग के महंगाई भत्ता सूत्र का अनुसरण करने वाले लोक उद्यम अपने उन कर्मचारियों को, जिन्होंने अभी तक वेतन के संशोधित मानों और औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न, विकल्प का चयन नहीं किया है, मूल वेतन के 10% की दर पर जो न्यूनतम 50 रू. होगा, अंतरिम राहत की एक अन्य किश्त जारी कर सकते हैं। अंतरिम राहत की गणना किसी प्रयोजनार्थ नहीं की जाएगी।

(ii) ये उद्यम अपने कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के आधार पर मौजूदा प्रतिशत दरों पर मकान किराए भत्ते का भुगतान करते रहेंगे। यदि मकान किराया भत्ते का दावा करने वाला कर्मचारी किराए की रसीदें प्रस्तुत करने की स्थिति में न हो या अपने मकान में रहता हो या अपने पति/पत्नी के मकान में रहता हो जिस पर नगरपालिका प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किराया बहुत कम हो या नगण्य हो तो उसे उसके मूल वेतन के आधार पर लागू प्रतिशत दरों पर मकान किराया भत्ता अदा किया जा सकता है लेकिन यह राशि ए.1.बी–1 और बी–2 श्रेणी के नगरों में 1000/–रू. प्रति माह तक और 'ग' श्रेणी के शहरों में 500/–. प्रतिमाह और अवर्गीकृत क्षेत्रों में 300/– रू. प्रतिमाह तक सीमित होगी।

(iii) ये लोक उद्यम अपने कर्मचारियों को वेतनमान प्रतिशत दरों पर नगर प्रतिकर भत्ता भी अदा करते रहेंगे। यह सदा ही संबंधित कर्मचारी के मूल वेतन से ही संबद्ध रहेगा। तथापि नगर प्रतिपूर्ति भत्ते पर मौजूदा अधिकतम सीमा ''क'' श्रेणी के शहरों में 75/–रू. की अपेक्षा 100/–रू. हागी। बी–1 श्रेणी के शहरों में 50/–रू. की अपेक्षा 75/–रू. और बी–2 श्रेणी के शहरों में 10/–रू. की अपेक्षा 20/–रू. होगी।

(iv) किराए की रसीद के बिना मकान किराए भत्ते की अदायगी तथा नगर प्रतिपूर्ति भत्ते, की अदायगी के लिए बढ़ी हुई अधिकतम सीमा 1.4.87 से प्रभावी होगी।

2. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे अपने प्रशसनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उद्यमों को उनकी जानकारी तथा तत्काल आवश्यक कार्रवाई हेतु उपर्युक्त सूचना दे दें।

(तारीख 5 अप्रैल, 1988 का लो.उ.वि. का का.ज्ञा. सं. 2(5)/87–बी.पी.ई.(डब्ल्यू.सी)